

SC 12
18/11/14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. OF 2014

Manjula DeviPetitioner.
Versus
The Home Secretary & othersRespondents.

Subject:- *Land Acquisition matter*

INDEX

Sl. NO	PARTICULARS	PAGE NOS
1.	An application under Article 226 of the Constitution of India.	1-14
2.	Annexure-1 The photo stat copy of the some of the representation.	15-19
3.	Annexure-2 The photo stat copy of the some of the representation dated 14.11.2014.	20-43
4.	VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. OF 2014

Manjula Devi**Petitioner.**

Versus

The Home Secretary & others**Respondents.**

Date wise events / synopsis

The petitioner is resident of Village-Ghosai under chousa police station of Madhepura district. The petitioner belongs to highly poor family and extremely backward caste community.

The private respondent Sunil Yadav is the influential person of the locality and has got his wife elected as Mukhiya from the Gram Panchayat. It is further stated that the respondent Sunil Yadav is Chairman of the PACS also and he commands great influence and terror amongst the weaker section of the society.

10.10.1983 The husband of the petitioner namely Chedi Das who is an old and ailing person purchased the land situated in Khata no. 2131, plot no. 1387, area-10 decimal by registered sale deed no. 6512/83 on 10.10.1983. In the sale deed itself in the south of plot no. 1387 there is a road. The petitioner craves leave of this Hon'ble Court to produce the sale deed as and when

required by this Hon'ble Court.

After purchasing the land the petitioner and her husband came in peaceful possession of the land and got their house constructed over it and are regularly making payment of rent to the state government. The petitioner craves leave to produce the malguzari receipt as and when required by this Hon'ble Court.

In the south of plot no. 1387 there is village road constructed under Pradhan Mantri Sarak Yojana. It is being further submitted that in between plot no. 1387 and road there is some government land which is in occupation and possession of the petitioner and her vendor since very beginning and it is the only Rasta for connecting the plot no. 1387 with public road.

01.11.2014 On 01.11.2014 the respondent no. 13 Sunil Yadav suddenly came with his antisocial friends and by taking law in their hand they forcibly demolished the structure / portion of the house of the petitioner situated over plot no. 1387 and connecting land adjacent to road. Thereupon the petitioner protested and made complaint before the Circle Officer, BDO and SHO of Chousa upon which they came and asked Sunil Yadav to leave.

Thereafter when officials left the place Sunil Yadav again came with his arms supporters and by threatening the petitioner and her family members to burn by pouring petrol he compelled the petitioner and her family members to leave the village and forcibly started making construction of building over the land which is government land by the side of village road connecting plot no. 1387 with road and has even made partial encroachment upon the petitioner's land also.

Thereafter the petitioner filed representation before the respondent authorities and requested to protect her and restraining private respondent Sunil Yadav from making construction and taking action against him.

14.11.2014 Thereafter the petitioner again filed representation before the respondent authorities making prayer to restrain private respondent Sunil Yadav from making construction and also sought protection from him. Despite specific complaint by the petitioner which was sent by registered post to the respondents no action has been taken till date.

Hence this writ

3. The Inspector General of Police, Koshi Range, Saharsa.
4. The Divisional Commissioner, Koshi Division, Saharsa.
5. The DIG, Saharsa.
6. The District Magistrate, Madhepura.
7. The Superintendent of Police, Madhepura.
8. The Sub-divisional Officer, Uda Kishunganj, Madhepura.
9. The Deputy Superintendent of Police, Uda Kishunganj, Madhepura.
10. The Circle Officer, Chousa Circle, Chousa, Madhepura.
11. The Block Development Officer, Chousa Block, Chousa, Madhepura..
12. The SHO, Chousa Police Station, Chousa, Madhepura. **Respondents 1st set.**
13. Sunil Yadav, son of Late Naresh Yadav, resident of Village + P.O.-Ghosai, P.S. & Anchal-Chousa, District-Madhepura.

..... **Respondents 2nd set.**

*The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the
Chief Justice of the High Court of Judicature at
Patna and her companion Justices of the said
Hon'ble Court.*

The humble petition on
behalf of the petitioner
above named:-

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1. That this writ application is being filed for directing the respondents in particulate respondent local authorities to take immediate steps from restraining the private respondent no. 13 Sunil Yadav from encroaching the public land and road and in making construction over government land situated in front of house of the petitioner and make construction over it by blocking the road of the petitioner by way of demolishing the house of the petitioner and threatening the petitioner compelling her and her family to leave the

village under threat and coercion and despite complaint the respondent authorities are keeping mum.

That the petitioner prays for following

RELIEFS

- i) That the respondent authorities may be directed to take immediate steps restraining respondent no. 13 from making encroachment over public land and road in front of plot no. 1387 and making construction over it.
- ii) That the respondent authority may be directed to protect the petitioner and her family members who are compelled to leave her village under threat to kill given by the private respondent no.3 and his friends.
- iii) That the respondents may be directed to ensure no encroachment is made by the

side of public land and road in front of plot no. 1387.

iv) That any other relief or reliefs may be allowed which will be just, proper and equitable on the opinion of this Hon'ble court.

3. That the petitioner is citizen of India and is amenable to the writ jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That the petitioner is resident of Village-Ghosai under chousa police station of Madhepura district. The petitioner belongs to highly poor family and extremely backward caste community.

5. That the private respondent Sunil Yadav is the influential person of the locality and has got his wife elected as Mukhiya from the Gram Panchayat. It is further stated that the respondent Sunil Yadav is Chairman of the PACS also and he commands great influence

and terror amongst the weaker section of the society.

6. That it is humbly submitted that the husband of the petitioner namely Chedi Das who is an old and ailing person purchased the land situated in Khata no. 2131, plot no. 1387, area-10 decimal by registered sale deed no. 6512/83 on 10.10.1983. In the sale deed itself in the south of plot no. 1387 there is a road. The petitioner craves leave of this Hon'ble Court to produce the sale deed as and when required by this Hon'ble Court.
7. That it is humbly submitted that after purchasing the land the petitioner and her husband came in peaceful possession of the land and got their house constructed over it and are regularly making payment of rent to the state government. The petitioner craves leave to produce the malguzari receipt as and when required by this Hon'ble Court.

That it is humbly submitted that in the south of plot no. 1387 there is village road constructed under Pradhan Mantri Sarak Yojana. It is being further submitted that in between plot no. 1387 and road there is some government land which is in occupation and possession of the petitioner and her vendor since very beginning and it is the only Rasta for connecting the plot no. 1387 with public road.

9. That on 01.11.2014 the respondent no. 13 Sunil Yadav suddenly came with his antisocial friends and by taking law in their hand they forcibly demolished the structure / portion of the house of the petitioner situated over plot no. 1387 and connecting land adjacent to road. Thereupon the petitioner protested and made complaint before the Circle Officer, BDO and

SHO of Chousa upon which they came and asked Sunil Yadav to leave.

10 That thereafter when officials left the place Sunil Yadav again came with his arms supporters and by threatening the petitioner and her family members to burn by pouring petrol he compelled the petitioner and her family members to leave the village and forcibly started making construction of building over the land which is government land by the side of village road connecting plot no. 1387 with road and has even made partial encroachment upon the petitioner's land also.

11. That thereafter the petitioner filed representation before the respondent authorities and requested to protect her and restraining private respondent Sunil Yadav from making construction and taking action against him.

The photo stat copy of the some of the representation is being annexed herewith and is marked as **Annexure-1 series.**

12. That it is humbly submitted that unfortunately no action was taken by the respondents.
13. That thereafter the petitioner again filed representation before the respondent authorities making prayer to restrain private respondent Sunil Yadav from making construction and also sought protection from him. Despite specific complaint by the petitioner which was sent by registered post to the respondents no action has been taken till date.

The photo stat copy of the some of the representation dated 14.11.2014 is being annexed

herewith and is marked as

Annexure-2 series.

14. That it is humbly submitted that in most wrongful and illegal manner the private respondent is making construction over government land with the help of his criminal friends and he has demolished the portion of the house of the petitioner and has also cut the bamboo clamp situated in the land belonging to the petitioner.
15. That it is humbly submitted that by making construction the road of the petitioner has been blocked by the private respondent.
16. That the petitioner is member of weaker section of the society and citizen of India has been compelled to leave her house under threat of being burnt by petrol from her house and despite complaint unfortunately the local police is not taking any action.

17. That the petitioner come to know that private respondent Sunil Yadav is the worker of local M.P. of Madhepura and he manages the booth in the local area for the M.P. It is submitted that when on 01.11.2014 for the first time the Sunil Yadav had made attempt and threatened upon the petitioner thereafter the police and local administration has come and had restrained Sunil Yadav but subsequently as per information to the petitioner the local M.P. made telephonic call to the respondent SHO, C.O., and BDO and thereafter no body is coming forward to protect the petitioner and have virtually allowed the private respondent to make construction over the public land and blocking the Rasta of the petitioner and compelling the petitioner and her family to leave the village.

18. That the petitioner is being compelled to leave the village and live at distant place at the mercy of her relatives due to inaction on the part of the respondent authorities.
19. That the respondent authorities have failed to perform their statutory duties.
20. That the petitioner has got no other efficacious remedy or remedies save and except to file this writ petition.
21. That the petitioner has never moved before this Hon'ble Court against the impugned order.

It is, therefore, prayed that your lordship may graciously be pleased to issue notices upon the respondents and after hearing the party or parties be pleased to allow the relief as prayed for in para-2 of the petition and after issuance of a writ of mandamus

or any other appropriate writ or writs.

OR

Pass such other order or orders which your lordship may deem fit and proper.

AND

During the pendency of the case the respondent no. 13 may be restrained from making any construction over public / government land situated in adjacent south to plot no. 1387 by the side of village road.

And for this the petitioner shall ever pray.

A F F I D A V I T

I, Manjula Devi, aged about 46 years, wife of Sri Chedi Das, resident of Village + P.O.- Ghosai, P.S. & Anchal-Chousa, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm declare and say as follows: -

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have understood the same and the statements made in paragraph nos.....3,4,5,6,7,8,9..... are true to my knowledge and those made in paragraph nos.....2..... are true to information derived from record and rest are by way of submission.
3. That the Annexures are the true photocopies of their respective originals.

मंजुला देवी

सेवा में,

श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी महोदय,

उदा किशुनगंज ।

विषय - ग्राम चौपड़ स्थित मेरे पुराने आवासीय घर का मुखिया पति का पैसा अद्यतन श्री सुनील यादव द्वारा जबरन लोड़ देने सामान हक देने व वक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करने का उनकी पढाई वापस करने के सम्बन्ध में ।

महाशय, उपरोक्त विषयाधीन के संदर्भ में श्रीमान् को सादर सूचित करना है कि मैं, मंजुला देवी पति - श्री देवी दारा तिकाणी ग्राम + पौ. चौपड़ थाना - चौथा का जिला - मधुपुरा की वासी हूँ। मैंने ग्राम चौपड़ में निजी जमीन खरिद 18 कठेन सरकारी जमीन में अनुवासीय घर बनाकर सपरिवार रहती आ रही हूँ। मैंने उक्त घर टट्टे का तीन कठ पर का था, जिसमें मैं अपने दो पति के साथ रहती हूँ तथा जहाँ पर मेरी दो वक्तियों यथा - पुष्पा शर्मा, उम - कर्मा 18 वर्ष का है। गीति - प्रिया, उम - करीब 15 वर्ष उम्र का इंटर का मैट्रिक की पढाई करती हूँ। श्रीमान् को विदित है कि दि -

01.11.2014, रोज - शनिवार को 8.00 बजे सुबह से 10.00 बजे पूवाहन तक मैं स्थानीय मुखिया

T.C 15

11

श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी महोदय,
उदा किशुनगंज।

विषय- ग्राम घोषई स्थित मेरे पुराने आवासीय घर को मुखिया पति वो पैक्स अध्यक्ष श्री सुनील यादव द्वारा जबरन तोड़ देने सामान फेंक देने, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने वो उनकी पढ़ाई बाधित करने के संबंध में।

व्यय,

उपर्युक्त विषयाधीन के सदर्भ में श्रीमान् को सादर सूचित करना चाहती हूँ कि मैं संजुला देवी, पति श्री छेदी दास निवासी, ग्राम+पोस्ट-घोषई, तहसील चौसा को जिला मधेपुरा की वासी हूँ मैं ग्राम घोषाई में निजी जमीन पर करीब 18 घूर सरकारी जमीन में आवासीय घर बनाकर सपरिवार रहती आ रही हूँ। मेरा उक्त घर टट्टी वा तीन के चदरे का था, जिसमें मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ तथा जहाँ पर मेरी दो बच्चियाँ यथा पुष्पा उम्र करीब 18 वर्ष वो 2 प्रीति प्रिया उम्र करीब 15 वर्ष क्रमशः इन्टर क्लास की पढ़ाई करती हैं।

श्रीमान् को विदित हो कि दिनांक 01.11.2014 रोज शनिवार को 09.00 बजे सुबह से 10.00 बजे पूर्वाह्न तक में स्थानीय मुखिया

T.C. 16

मेरी को घोषाई पेंक्स अध्यक्ष श्री सुनील यादव अपने साथ 20-25
सहयोग के साथ आये और आदेश दिये कि छेदी दास का घर उजाड़ दो
उस घर उजाड़ दिया तथा घर के सामान को भी यत्र-तत्र फेंक दिये तथा
मेरी पास मना करने मेरे पति को जवान बच्चियों के द्वारा मना करने पर वे
जान ब्रमें गाली-गलौज करते हुए मारने दौड़े। सुनील यादव ने मेरी जवान
बच्चियों को भी भद्दी भद्दी गाली दिये और पेट्रोल से जलाना भी चाहे।
उस राती भागकर दूसरे के घर में शरण लिये।

मेरे द्वारा थानाध्यक्ष चौसा, अ0 अ0 चौसा, प्र0 नि0 प0 चौसा को भी
बुला दिये, जो घटनास्थल पर पहुँचकर मुखिया पति को डॉट फटकार
दिये और कहा कि अगर सरकारी जमीन में किन्हीं का घर है तो आप कौन
को घर उजाड़ने वाले। प्रशासन के चले जाने के बाद मुखिया पति हमें
जल से जला देने की धमकी दे रहे है हम वहाँ से भाग गये। वे मेरी
जवान में मकान निर्माण हेतु गैव दे रहे है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में श्रीमान् से निवेदन है कि
उजाड़े घर को निर्माण करवाने वो सुनील यादव के विरुद्ध आवश्यक
न्यायिक कार्रवाई करने की कृपा की जाय जिससे मुझे इन्साफ मिल सके।

आपकी विश्वासी
ह0/-मंजुला देवी
ता0-08.11.2014

सेवा में.

श्रीमान श्री जगदीश प्रसाद श्री मन्मथ,
'सुखी दरवार' सूरपुरा।

विषय - पोसा धाना की जैवल स्थल काठ -
जिसमें स्थित श्री आवासीय घर का
सुरक्षा प्रति - श्री सुनील थापन द्वारा जबरन
हथियारों के साथ प्रवेश करने का
उक्त पढ़ाई कायदा करने के अभाव में

प्रकारण -
श्रीमान श्री जगदीश प्रसाद श्री मन्मथ
को निम्नलिखित कारणों से श्री सुनील थापन
द्वारा श्री सुनील थापन द्वारा जबरन
हथियारों के साथ प्रवेश करने का
उक्त पढ़ाई कायदा करने के अभाव में
श्रीमान श्री जगदीश प्रसाद श्री मन्मथ
द्वारा श्री सुनील थापन द्वारा जबरन
हथियारों के साथ प्रवेश करने का
उक्त पढ़ाई कायदा करने के अभाव में

श्रीमान श्री जगदीश प्रसाद श्री मन्मथ
01-11-2014 को श्री सुनील थापन द्वारा
से 10.00 बजे श्री सुनील थापन द्वारा
पति - श्री सुनील थापन द्वारा श्री सुनील थापन
की है, 20-14 को श्री सुनील थापन द्वारा
उक्त घर को आहूत करने के लिए श्री सुनील थापन
घर के सामान को श्री सुनील थापन द्वारा
तथा श्री सुनील थापन द्वारा श्री सुनील थापन
के व्यक्ति के श्री सुनील थापन द्वारा
करने पर श्री सुनील थापन द्वारा श्री सुनील थापन
द्वारा श्री सुनील थापन द्वारा श्री सुनील थापन
साथ श्री सुनील थापन द्वारा श्री सुनील थापन

श्रीमान्,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय,
"जनता दरबार" मधेपुरा।

विषय

चौसा थाना वो अंचल स्थित ग्राम घोषई में स्थित मेरे पुराने आवासीय घर को मुखिया पति--श्री सुनील यादव द्वारा जबरन तोड़ देने सामान फेंक देने वो मेरी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने वो उनकी पढाई बाधित करने के संबंध में ।

वस्तु,

उपर्युक्त विषयाधीन के संदर्भ में श्रीमान् को सादर सूचित करना चाहती हूँ कि मैं कुमुला देवी, पति श्री छेदी दास निवासी, ग्राम-पोरट-घोषई, थाना चौसा वो जिला मधेपुरा की वारी हूँ मैं ग्राम घोषाई में निजी जमीन पर ही 18 घूर सरकारी जमीन में आवासीय घर बनाकर सपरिवार रहती आ रही हूँ । मेरा उक्त घर टट्टी वो टीन के चदरें का था, जिसमें मेरी दो बच्चियाँ यथा-1 पुष्पा रानी, उम्र करीब 18 वर्ष वो 2 प्रीति प्रिया उम्र करीब 15 वर्ष कमरा इन्टर वो मैट्रिक की पढाई करती है।

श्रीमान् को विदित हो कि दिनांक 01.11.2014 रोज शनिवार को 8.00 बजे सुबह से 10.00 बजे सुबह तक में स्थानीय मुखिया पति श्री सुनील यादव जो पैसा के चेरमैन भी है, 20-25 व्यक्तियों के साथ मेरे उक्त घर को उजाड़कर फेंक दिये तथा घर के सामान को भी यत्र-तत्र फेंक दिये तथा मेरे द्वारा मना करने मेरे पति जो एक बूढ़े व्यक्ति हैं एवं मेरी बच्चियों के द्वारा मना करने पर वे लोग हमें गाली-गलौज करते हुए मारने लौडे। मेरी जवान बच्चियों के साथ भद्दी-भद्दी बाते मुखिया पति श्री सुनील

T-18

यादव ने किया और धमकी दिये कि पेट्रोल से तुम सब को जला देंगे, मैं कौन तुमको बचाता हूँ। हम सभी भागकर दूसरे के घर में शरण लिये। सुनील यादव काफी मजबूत वो रंगवाज व्यक्ति हैं जो घोषाई से हमें पेट्रोल देने की धमकी देता है। हमलोग काफी भयभीत हैं।

मेरे द्वारा थानाध्यक्ष चौसा, अ० अ० चौसा वो प्रखंड विकास पदाधिकारी चौसा को सूचना दिये जो घटनास्थल पर पहुंचे वो घटना को सही पाये तथा मुखिया पति को डॉट-फटकार भी किये और कहा कि सरकारी जमीन के किसी का घर है वो आप कौन होते है घर उजाड़ने वाले। प्रशारान के जाने के बाद मेरे उक्त वाले स्थान पर इट से मकान बनाने हेतु मुखिया पति कार्य करवा रहे हैं। मुझे पेट्रोल से जलाने का आदेश दिया गया फिर वहाँ से चला गये।

असमर्थता तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में श्रीमान् से निवेदन है कि मुझे संरक्षण प्रदान करते हुए सुनील यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय, जिसके लिए मैं आपकी सदा ही आभारी रहूँगी।

आपकी विश्वासी
ह०/—मंजुला देवी
पति—श्री छेदीदास
ता०—06.11.2014

संलग्निकाएँ—

- 1 पति—श्री छेदीदास के नाम राशन कार्ड की छायाप्रति
- 2 मेरी बच्चियों के निवास प्रमाण की छायाप्रति
- 3 मेरी बेटी पुष्पारानी के इन्टरमीडिएट के प्रवेश पत्र की छायाप्रति
- 4 केवाला दस्तावेज रा० — 6512/83 की छायाप्रति
- 5 मालगुजारी रसीद की छायाप्रति।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, उदा किथुनगंज,
मधेपुरा

विषय:- मधेपुरा जिला के चौसा अंचल एवं थाना अन्तर्गत घोषई गाँव में दबंग मुखिया पति द्वारा सड़क के किनारे की सरकारी जमीन को जबरन कब्जा कर भवन निर्माण किए जाने एवं रास्ता अवरुद्ध करने एवं डराकर हमें घर छोड़ने पर मजबूर करने की कारवाई को रोकने के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह आवेदन पत्र निम्नांकित तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. मैं मंजुला देवी पति श्री छेदी दास ग्राम+पोस्ट घोषई थाना चौसा जिला मधेपुरा की निवासी हूँ।
2. वर्ष 1983 में मेरे पति श्री छेदी दास ने रजिस्ट्री वसीका के द्वारा खेसरा सं०-1387 की तीन कट्ठा जमीन खरीदी थी जिसकी चौहद्दी के अनुसार दक्षिण में रास्ता है। उस जमीन का रसीद मैं कटाती हूँ।

21

3. उक्त खेसरा नं० 1387 पर वर्ष 1983 से ही मैं अपने परिवार के साथ घर बनाकर रहती चली आ रही हूँ तथा घर से सटे दक्षिण सड़क का निरन्तर उपयोग करती चली आ रही हूँ।
4. महोदय मेरे जमीन खरीदने के पूर्व से ही इस जमीन प्लॉट नं० 1387 का रास्ता दक्षिण तरफ सड़क से जुड़ता है और मेरे घर का एक मात्र यही रास्ता है।
5. दिनांक 01.11.2014 को स्थानिय मुखिया के दबंग पति श्री सुनिल कुमार यादव जो कि पैक्स के भी अध्यक्ष हैं बीस-पच्चीस अपराधी लोगों के साथ जबरन मेरे जमीन पर आये तथा मेरा टीन का बना एवं खपरपोस घर को जबरदस्ती अपने अपराधी साथियों के सहयोग से यह कहकर तोड़ दिया कि सड़क के किनारे की जमीन सरकारी है। मेरा बसवाड़ी भी काट कर ले गए।
6. इस सम्बन्ध में स्थानिय अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को मेरे द्वारा सूचना दी गई जिस पर उनके द्वारा मुखिया पति सुनिल कुमार यादव को डोंटा-फटकारा गया।
7. पदाधिकारियों के जाने के बाद उक्त सुनिल कुमार यादव मुखिया पति के द्वारा हमलोगो को डरा धमका कर मेरे घर के आगे जबरदस्ती एक

भवन का निर्माण कराया जा रहा है तथा मेरा रास्ता बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया है। सुनील यादव एवं उसके साक्षियों द्वारा पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी दी गई तथा गाँव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उसने अपने साथियों को देखते ही जान मारने का आदेश दिया है। हम लोग डर के मारे जान बचा कर भाग गए हैं तथा किसी तरह जान बचा रहे हैं। इस संबंध में थाना तथा आरक्षी अधीक्षक से भी शिकायत की गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

8. महोदय इस सम्बन्ध में मैंने वरीय पदाधिकारियों ने समक्ष शिकायत की परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है जिस कारण मेरे घर के आगे स्थित सड़क से सटी सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर भवन निर्माण का काम कराया जा रहा है तथा मेरे घर का रास्ता भी बंद कर दिया गया है।

9. महोदय मैं एक कमजोर वर्ग के लाचार भूमीहिन महिला हूँ तथा मेरे पति एक बीमार तथा लाचार व्यक्ति हैं, मुझे एवं मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है।

23

अतः महोदय से कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अविलम्ब हस्तक्षेप करते हुए ग्राम-घोषई स्थित खेसरा संख्या 1387 के आगे सड़क के किनारे जबरन कराये जा रहे भवन निर्माण को रोका जाए तथा दोषी मुखिया पति सुनिल यादव पर कार्यवाई करते हुए मुझे एवं मेरे परिवार को समुचित सुरक्षा देने की कृपा की जाए।

इस हेतु, मैं तथा मेरा पुरा परिवार आपका सदैव आभारी बना रहेगा।

आपकी विश्वासी

मंजुला देवी

(मंजुला देवी)

ग्राम+पोस्ट- घोषई

थाना+पोस्ट-चौसा

जिला-मधेपुरा।

भारतीय डाक



India Post

RL PATNA GPO (000001)

C RPO216668371IN

Counter No:3, CP-Code:RAI

To:ANIL KUMAR,

Chausa S.O (Madhepura), PIN:852213

From:MANILA DEVI, MADHEPURA

Rs:260000

Rs:30.00 (LFee:Rs.3.00), 14/11/2014 17:02

<Trace: www.indiapost.gov.in>

सेवा में,

अंचलाधिकारी चौसा, मधेपुरा

विषय:- मधेपुरा जिला के चौसा अंचल एवं थाना अन्तर्गत घोषई गाँव में दबंग मुखिया पति द्वारा सड़क के किनारे की सरकारी जमीन को जबरन कब्जा कर भवन निर्माण किए जाने एवं रास्ता अवरुद्ध करने एवं डराकर हमें घर छोड़ने पर मजबूर करने की कारवाई को रोकने के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह आवेदन पत्र निम्नांकित तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. मैं मंजुला देवी पति श्री छेदी दास ग्राम+पोस्ट घोषई थाना चौसा जिला मधेपुरा की निवासी हूँ।
2. वर्ष 1983 में मेरे पति श्री छेदी दास ने रजिस्ट्री वसीका के द्वारा खेसरा सं०-1387 की तीन कट्ठा जमीन खरीदी थी जिसकी चौहद्दी के अनुसार दक्षिण में रास्ता है। उस जमीन का रसीद मैं कटाती हूँ।

भवन का निर्माण कराया जा रहा है तथा मेरा रास्ता बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया है। सुनील यादव एवं उसके साक्षियों द्वारा पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी दी गई तथा गाँव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उसने अपने साथियों को देखते ही जान मारने का आदेश दिया है। हम लोग डर के मारे जान बचा कर भाग गए हैं तथा किसी तरह जान बचा रहे हैं। इस संबंध में थाना तथा आरक्षी अधीक्षक से भी शिकायत की गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

8. महोदय इस सम्बन्ध में मैंने वरीय पदाधिकारियों ने समक्ष शिकायत की परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है जिस कारण मेरे घर के आगे स्थित सड़क से सटी सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर भवन निर्माण का काम कराया जा रहा है तथा मेरे घर का रास्ता भी बंद कर दिया गया है।

9. महोदय मैं एक कमजोर वर्ग के लाचार भूमीहिन महिला हूँ तथा मेरे पति एक बीमार तथा लाचार व्यक्ति हैं, मुझे एवं मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है।

अतः महोदय से कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अविलम्ब हस्तक्षेप करते हुए ग्राम-घोषई स्थित खेसरा संख्या 1387 के आगे सड़क के किनारे जबरन कराये जा रहे भवन निर्माण को रोका जाए तथा दोषी मुखिया पति सुनिल यादव पर कार्यवाई करते हुए मुझे एवं मेरे परिवार को समुचित सुरक्षा देने की कृपा की जाए।

इस हेतु, मैं तथा मेरा पुरा परिवार आपका सदैव आभारी बना रहेगा।

आपकी विश्वासी

मंजुला देवी

(मंजुला देवी)

ग्राम+पोस्ट- घोषई

थाना+पोस्ट-चौसा

जिला-मधेपुरा।



<INDIA POST 00000>
 C:RF 02166670414
 Counter No:3,CP-CoderRAI
 To:MANILA ANYOO,
 Patna G.P.O., PIN:800001
 From:MANILA DEVI, MADHEPURA
 Wt:26grams.
 Amt:30.00 (LFee:Rs.3.00), 14/11/2014 17501
 <CPed. www.indiapost.gov.in>

सेवा में,

आयुक्त कोषी प्रमण्डल,

सहरसा।

विषय:- मधेपुरा जिला के चौसा अंचल एवं थाना अन्तर्गत घोषई गाँव में दबंग मुखिया पति द्वारा सड़क के किनारे की सरकारी जमीन को जबरन कब्जा कर भवन निर्माण किए जाने एवं रास्ता अवरुद्ध करने एवं डराकर हमें घर छोड़ने पर मजबूर करने की कारवाई को रोकने के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह आवेदन पत्र निम्नांकित तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. मैं मंजुला देवी पति श्री छेदी दास ग्राम+पोस्ट घोषई थाना चौसा जिला मधेपुरा की निवासी हूँ।
2. वर्ष 1983 में मेरे पति श्री छेदी दास ने रजिस्ट्री वसीका के द्वारा खेसरा सं0-1387 की तीन कट्ठा जमीन खरीदी थी जिसकी चौहद्दी के अनुसार दक्षिण में रास्ता है। उस जमीन का रसीद मैं कटाती हूँ।

3. उक्त खेसरा नं० 1387 पर वर्ष 1983 से ही मैं अपने परिवार के साथ घर बनाकर रहती चली आ रही हूँ तथा घर से सटे दक्षिण सड़क का निरन्तर उपयोग करती चली आ रही हूँ।
4. महोदय मेरे जमीन खरीदने के पूर्व से ही इस जमीन प्लॉट नं० 1387 का रास्ता दक्षिण तरफ सड़क से जुड़ता है और मेरे घर का एक मात्र यही रास्ता है।
5. दिनांक 01.11.2014 को स्थानिय मुखिया के दबंग पति श्री सुनिल कुमार यादव जो कि पैक्स के भी अध्यक्ष हैं बीस-पच्चीस अपराधी लोगों के साथ जबरन मेरे जमीन पर आये तथा मेरा टीन का बना एवं खपरपोस घर को जबरदस्ती अपने अपराधी साथियों के सहयोग से यह कहकर तोड़ दिया कि सड़क के किनारे की जमीन सरकारी है। मेरा बसवाड़ी भी काट कर ले गए।
6. इस सम्बन्ध में स्थानिय अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को मेरे द्वारा सूचना दी गई जिस पर उनके द्वारा मुखिया पति सुनिल कुमार यादव को डॉटा-फटकारा गया।
7. पदाधिकारियों के जाने के बाद उक्त सुनिल कुमार यादव मुखिया पति के द्वारा हमलोगो को डरा धमका कर मेरे घर के आगे जबरदस्ती एक

भवन का निर्माण कराया जा रहा है तथा मेरा रास्ता बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया है। सुनील यादव एवं उसके साक्षियों द्वारा पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी दी गई तथा गाँव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उसने अपने साथियों को देखते ही जान मारने का आदेश दिया है। हम लोग डर के मारे जान बचा कर भाग गए हैं तथा किसी तरह जान बचा रहे हैं। इस संबंध में थाना तथा आरक्षी अधीक्षक से भी शिकायत की गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

8. महोदय इस सम्बन्ध में मैंने वरीय पदाधिकारियों ने समक्ष शिकायत की परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है जिस कारण मेरे घर के आगे स्थित सड़क से सटी सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर भवन निर्माण का काम कराया जा रहा है तथा मेरे घर का रास्ता भी बंद कर दिया गया है।

9. महोदय मैं एक कमजोर वर्ग के लाचार भूमीहिन महिला हूँ तथा मेरे पति एक बीमार तथा लाचार व्यक्ति हैं, मुझे एवं मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है।

31

अतः महोदय से कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अविलम्ब हस्तक्षेप करते हुए ग्राम-घोषई स्थित खेसरा संख्या 1387 के आगे सड़क के किनारे जबरन कराये जा रहे भव्ण निर्माण को रोका जाए तथा दोषी मुखिया पति सुनिल यादव पर कार्यवाई करते हुए मुझे एवं मेरे परिवार को समुचित सुरक्षा देने की कृपा की जाए।

इस हेतु, मैं तथा मेरा पुरा परिवार आपका सदैव आभारी बना रहेगा।

आपकी विश्वासी

मंजुला देवी

(मंजुला देवी)

ग्राम+पोस्ट- घोषई

थाना+पोस्ट-चौसा

जिला-मधेपुरा।



RE. PITHA (FD (80000))
E 190216668101N
Date: 03/07/2017
To: ANURAG KISHI PR,
Saharsa H.O., PTH:062201
From: MANJULA DEVI, MADHEPURA
Dist: Madhepura.
Amt: 30.00 (LFee: Rs. 3.00).
Track on www.indiapost.gov



सेवा में,

पुलिस अधिक्षक,

मधेपुरा।

विषय:- मधेपुरा जिला के चौसा अंचल एवं थाना अन्तर्गत घोषई गाँव में दबंग मुखिया पति द्वारा सड़क के किनारे की सरकारी जमीन को जबरन कब्जा कर भवन निर्माण किए जाने एवं रास्ता अवरुद्ध करने एवं डराकर हमें घर छोड़ने पर मजबूर करने की कारवाई को रोकने के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह आवेदन पत्र निम्नांकित तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. मैं मंजुला देवी पति श्री छेदी दास ग्राम+पोस्ट घोषई थाना चौसा जिला मधेपुरा की निवासी हूँ।
2. वर्ष 1983 में मेरे पति श्री छेदी दास ने रजिस्ट्री वसीका के द्वारा खेसरा सं०-1387 की तीन कट्ठा जमीन खरीदी थी जिसकी चौहद्दी के अनुसार दक्षिण में रास्ता है। उस जमीन का रसीद मैं कटाती हूँ।

3. उक्त खेसरा नं० 1387 पर वर्ष 1983 से ही मैं अपने परिवार के साथ घर बनाकर रहती चली आ रही हूँ तथा घर से सटे दक्षिण सड़क का निरन्तर उपयोग करती चली आ रही हूँ।
4. महोदय मेरे जमीन खरीदने के पूर्व से ही इस जमीन प्लॉट नं० 1387 का रास्ता दक्षिण तरफ सड़क से जुड़ता है और मेरे घर का एक मात्र यही रास्ता है।
5. दिनांक 01.11.2014 को स्थानिय मुखिया के दबंग पति श्री सुनिल कुमार यादव जो कि पैक्स के भी अध्यक्ष हैं बीस-पच्चीस अपराधी लोगों के साथ जबरन मेरे जमीन पर आये तथा मेरा टीन का बना एवं खपरपोस घर को जबरदस्ती अपने अपराधी साथियों के सहयोग से यह कहकर तोड़ दिया कि सड़क के किनारे की जमीन सरकारी है। मेरा बसवाड़ी भी काट कर ले गए।
6. इस सम्बन्ध में स्थानिय अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को मेरे द्वारा सूचना दी गई जिस पर उनके द्वारा मुखिया पति सुनिल कुमार यादव को डॉटा-फटकारा गया।
7. पदाधिकारियों के जाने के बाद उक्त सुनिल कुमार यादव मुखिया पति के द्वारा हमलोगो को डरा धमका कर मेरे घर के आगे जबरदस्ती एक

भवन का निर्माण कराया जा रहा है तथा मेरा रास्ता बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया है। सुनील यादव एवं उसके साक्षियों द्वारा पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी दी गई तथा गाँव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उसने अपने साथियों को देखते ही जान मारने का आदेश दिया है। हम लोग डर के मारे जान बचा कर भाग गए हैं तथा किसी तरह जान बचा रहे हैं। इस संबंध में थाना तथा आरक्षी अधीक्षक से भी शिकायत की गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

8. महोदय इस सम्बन्ध में मैंने वरीय पदाधिकारियों ने समक्ष शिकायत की परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है जिस कारण मेरे घर के आगे स्थित सड़क से सटी सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर भवन निर्माण का काम कराया जा रहा है तथा मेरे घर का रास्ता भी बंद कर दिया गया है।

9. महोदय मैं एक कमजोर वर्ग के लाचार भूमीहिन महिला हूँ तथा मेरे पति एक बीमार तथा लाचार व्यक्ति हैं, मुझे एवं मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है।

35

अतः महोदय से कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अविलम्ब हस्तक्षेप करते हुए ग्राम-घोषई स्थित खेसरा संख्या 1387 के आगे सड़क के किनारे जबरन कराये जा रहे भवन् निर्माण को रोक जाए तथा दोषी मुखिया पति सुनिल यादव पर कार्यवाई करते हुए मुझे एवं मेरे परिवार को समुचित सुरक्षा देने की कृपा की जाए।

इस हेतु, मैं तथा मेरा पुरा परिवार आपका सदैव आभारी बना रहेगा।

आपकी विश्वासी

मंजुला देवी

(मंजुला देवी)

ग्राम+पोस्ट- घोषई

थाना+पोस्ट-चौसा

जिला-मधेपुरा।



RL PATHA BFO (XXXX)
C RFO216667181N
Counter No:3, CP-Code:RAI
To:POLICE AMIKSHAK,
Madhepura S.O., PIN:862113
From:MANJULA DEVI, MADHEPURA
M:260985,
Amt:30.00 (LFee:Rs.3.00), 14/11/2014 17:02

सेवा में,

महिला आयोग,

पटना।

विषय:- मधेपुरा जिला के चौसा अंचल एवं थाना अन्तर्गत घोषई गाँव में दबंग मुखिया पति द्वारा सड़क के किनारे की सरकारी जमीन को जबरन कब्जा कर भवन निर्माण किए जाने एवं रास्ता अवरुद्ध करने एवं डराकर हमें घर छोड़ने पर मजबूर करने की कारवाई को रोकने के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह आवेदन पत्र निम्नांकित तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. मैं मंजुला देवी पति श्री छेदी दास ग्राम+पोस्ट घोषई थाना चौसा जिला मधेपुरा की निवासी हूँ।
2. वर्ष 1983 में मेरे पति श्री छेदी दास ने रजिस्ट्री वसीका के द्वारा खेसरा सं०-1387 की तीन कट्ठा जमीन खरीदी थी जिसकी चौहद्दी के अनुसार दक्षिण में रास्ता है। उस जमीन का रसीद मैं कटाती हूँ।

3. उक्त खेसरा नं० 1387 पर वर्ष 1983 से ही मैं अपने परिवार के साथ घर बनाकर रहती चली आ रही हूँ तथा घर से सटे दक्षिण सड़क का निरन्तर उपयोग करती चली आ रही हूँ।
4. महोदय मेरे जमीन खरीदने के पूर्व से ही इस जमीन प्लॉट नं० 1387 का रास्ता दक्षिण तरफ सड़क से जुड़ता है और मेरे घर का एक मात्र यही रास्ता है।
5. दिनांक 01.11.2014 को स्थानिय मुखिया के दबंग पति श्री सुनिल कुमार यादव जो कि पैक्स के भी अध्यक्ष हैं बीस-पच्चीस अपराधी लोगों के साथ जबरन मेरे जमीन पर आये तथा मेरा टीन का बना एवं खपरपोस घर को जबरदस्ती अपने अपराधी साथियों के सहयोग से यह कहकर तोड़ दिया कि सड़क के किनारे की जमीन सरकारी है। मेरा बसवाड़ी भी काट कर ले गए।
6. इस सम्बन्ध में स्थानिय अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को मेरे द्वारा सूचना दी गई जिस पर उनके द्वारा मुखिया पति सुनिल कुमार यादव को डोंटा-फटकारा गया।
7. पदाधिकारियों के जाने के बाद उक्त सुनिल कुमार यादव मुखिया पति के द्वारा हमलोगो को डरा धमका कर मेरे घर के आगे जबरदस्ती एक

भवन का निर्माण कराया जा रहा है तथा मेरा रास्ता बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया है। सुनील यादव एवं उसके साक्षियों द्वारा पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी दी गई तथा गाँव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उसने अपने साथियों को देखते ही जान मारने का आदेश दिया है। हम लोग डर के मारे जान बचा कर भाग गए हैं तथा किसी तरह जान बचा रहे हैं। इस संबंध में थाना तथा आरक्षी अधीक्षक से भी शिकायत की गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

8. महोदय इस सम्बन्ध में मैंने वरीय पदाधिकारियों ने समक्ष शिकायत की परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है जिस कारण मेरे घर के आगे स्थित सड़क से सटी सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर भवन निर्माण का काम कराया जा रहा है तथा मेरे घर का रास्ता भी बंद कर दिया गया है।

9. महोदय मैं एक कमजोर वर्ग के लाचार भूमीहिन महिला हूँ तथा मेरे पति एक बीमार तथा लाचार व्यक्ति हैं, मुझे एवं मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है।

39

अतः महोदय से कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अविलम्ब हरतक्षेप करते हुए ग्राम-घोषई स्थित खेसरा संख्या 1387 के आगे सड़क के किनारे जबरन कराये जा रहे भवन निर्माण को रोका जाए तथा दोषी मुखिया पति सुनिल यादव पर कार्यवाई करते हुए मुझे एवं मेरे परिवार को समुचित सुरक्षा देने की कृपा की जाए।

इस हेतु, मैं तथा मेरा पुरा परिवार आपका सदैव आभारी बना रहेगा।

आपकी विश्वासी

मंजुला देवी

(मंजुला देवी)

ग्राम+पोस्ट- घोषई

थाना+पोस्ट-चौसा

जिला-मधेपुरा।

India Post
From: MANJULA DEVI, MANJULA
Amt: 30.00 (1 Fee: Rs. 3.00) - 16/11/2014 17:00
Track on www.indiapost.gov.in

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा

विषय:- मधेपुरा जिला के चौसा अंचल एवं थाना अन्तर्गत घोषई गाँव में दबंग मुखिया पति द्वारा सड़क के किनारे की सरकारी जमीन को जबरन कब्जा कर भवन निर्माण किए जाने एवं रास्ता अवरुद्ध करने एवं डराकर हमें घर छोड़ने पर मजबूर करने की कारवाई को रोकने के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह आवेदन पत्र निम्नांकित तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. मैं मंजुला देवी पति श्री छेदी दास ग्राम+पोस्ट घोषई थाना चौसा जिला मधेपुरा की निवासी हूँ।
2. वर्ष 1983 में मेरे पति श्री छेदी दास ने रजिस्ट्री वसीका के द्वारा खेसरा सं०-1387 की तीन कट्ठा जमीन खरीदी थी जिसकी चौहद्दी के अनुसार दक्षिण में रास्ता है। उस जमीन का रसीद मैं कटाती हूँ।

3. उक्त खेसरा नं० 1387 पर वर्ष 1983 से ही मैं अपने परिवार के साथ घर बनाकर रहती चली आ रही हूँ तथा घर से सटे दक्षिण सड़क का निरन्तर उपयोग करती चली आ रही हूँ।
4. महोदय मेरे जमीन खरीदने के पूर्व से ही इस जमीन प्लॉट नं० 1387 का रास्ता दक्षिण तरफ सड़क से जुड़ता है और मेरे घर का एक मात्र यही रास्ता है।
5. दिनांक 01.11.2014 को स्थानिय मुखिया के दबंग पति श्री सुनिल कुमार यादव जो कि पैक्स के भी अध्यक्ष हैं बीस-पच्चीस अपराधी लोगों के साथ जबरन मेरे जमीन पर आये तथा मेरा टीन का बना एवं खपरपोस घर को जबरदस्ती अपने अपराधी साथियों के सहयोग से यह कहकर तोड़ दिया कि सड़क के किनारे की जमीन सरकारी है। मेरा बसवाड़ी भी काट कर ले गए।
6. इस सम्बन्ध में स्थानिय अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को मेरे द्वारा सूचना दी गई जिस पर उनके द्वारा मुखिया पति सुनिल कुमार यादव को डॉटा-फटकारा गया।
7. पदाधिकारियों के जाने के बाद उक्त सुनिल कुमार यादव मुखिया पति के द्वारा हमलोगो को डरा धमका कर मेरे घर के आगे जबरदस्ती एक

भवन का निर्माण कराया जा रहा है तथा मेरा रास्ता बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया है। सुनील यादव एवं उसके साक्षियों द्वारा पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी दी गई तथा गाँव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उसने अपने साथियों को देखते ही जान मारने का आदेश दिया है। हम लोग डर के मारे जान बचा कर भाग गए हैं तथा किसी तरह जान बचा रहे हैं। इस संबंध में थाना तथा आरक्षी अधीक्षक से भी शिकायत की गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

8. महोदय इस सम्बन्ध में मैंने वरीय पदाधिकारियों ने समक्ष शिकायत की परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है जिस कारण मेरे घर के आगे स्थित सड़क से सटी सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर भवन निर्माण का काम कराया जा रहा है तथा मेरे घर का रास्ता भी बंद कर दिया गया है।

9. महोदय मैं एक कमजोर वर्ग के लाचार भूमीहिन महिला हूँ तथा मेरे पति एक बीमार तथा लाचार व्यक्ति हैं, मुझे एवं मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है।

43

अतः महोदय से कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अविलम्ब हस्तक्षेप करते हुए ग्राम-घोषई स्थित खेसरा संख्या 1387 के आगे सड़क के किनारे जबरन कराये जा रहे भवन निर्माण को रोका जाए तथा दोषी मुखिया पति सुनिल यादव पर कार्यवाई करते हुए मुझे एवं मेरे परिवार को समुचित सुरक्षा देने की कृपा की जाए।

इस हेतु, मैं तथा मेरा पुरा परिवार आपका सदैव आभारी बना रहेगा।

आपकी विश्वासी

मंजुला देवी

(मंजुला देवी)

ग्राम+पोस्ट- घोषई

थाना+पोस्ट-चौसा

जिला-मधेपुरा।



HL PATHA (FO (000001)

C: RFO21666695IN

Counter No:3, CP-Code:001

To: MAMMAL INLIKARI,

Madhetara S.O., PIN:852113

From: MANJULA DEVI, MADHUPUR

Wt:26grams,

Am:30.00 (LFee:Rs.3.00), 14/11/2014 12:01

<<C> <ch> <www.indiapost.gov.in>

25

3. उक्त खेसरा नं० 1387 पर वर्ष 1983 से ही मैं अपने परिवार के साथ घर बनाकर रहती चली आ रही हूँ तथा घर से सटे दक्षिण सड़क का निरन्तर उपयोग करती चली आ रही हूँ।
4. महोदय मेरे जमीन खरीदने के पूर्व से ही इस जमीन प्लॉट नं० 1387 का रास्ता दक्षिण तरफ सड़क से जुड़ता है और मेरे घर का एक मात्र यही रास्ता है।
5. दिनांक 01.11.2014 को स्थानिय मुखिया के दबंग पति श्री सुनिल कुमार यादव जो कि पैक्स के भी अध्यक्ष हैं बीस-पच्चीस अपराधी लोगों के साथ जबरन मेरे जमीन पर आये तथा मेरा टीन का बना एवं खपरपोस घर को जबरदस्ती अपने अपराधी साथियों के सहयोग से यह कहकर तोड़ दिया कि सड़क के किनारे की जमीन सरकारी है। मेरा बसवाड़ी भी काट कर ले गए।
6. इस सम्बन्ध में स्थानिय अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को मेरे द्वारा सूचना दी गई जिस पर उनके द्वारा मुखिया पति सुनिल कुमार यादव को डोंटा-फटकारा गया।
7. पदाधिकारियों के जाने के बाद उक्त सुनिल कुमार यादव मुखिया पति के द्वारा हमलोगो को डरा धमका कर मेरे घर के आगे जबरदस्ती एक

सेवा में,

आयुक्त, महोदय,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

19

विषय :- चौसा थाना वो अंचल स्थित ग्राम-घोषई में स्थित मेरे आवासीय घर को मुखिया पति श्री सुनील यादव द्वारा जबरन तोड़ देने सामान फेंक देने वो मेरी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने वो उबकी पढ़ाई बाधित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयाधीन के संदर्भ में श्रीमान को सार्व सूचित करना है कि मैं, मंजुला देवी, पति श्री छेदी दास, निवासी ग्राम-गो०-घोषई, थाना-चौसा, जिला-मधेपुरा की वासी हूँ। मैं ग्राम-घोषई में निजी जमीन सहित 14 अर सरकारी जमीन में आवासीय घर बनाकर स्वपरिवार रहती आ रही हूँ। मेरा उक्त घर टूट्टी वो टीन के चदरे का घर था, जिसमें मेरी दो बच्चियाँ था पुष्पा रानी, उम्र करीब 18 वर्ष 2 प्रति प्रिया उम्र करीब 15 वर्ष जो क्रमशः इन्टर वो मैट्रिक की पढ़ाई कर रही हैं।

श्रीमान को विदित हो की दिनांक 01.11.2014 रोज शनिवार को 8:00 बजे सुबह से 10:00 बजे सुबह तक, मैं स्थानीय मुखिया पति श्री सुनील कुमार यादव, जो पंचायत के वैयक्तिक भी है, बीस-पच्चीस व्यक्तियों के साथ मेरे उक्त घर को उजारकर फेंक दिये तथा घर के सामान को भी यत्र-तत्र भेक दिये तथा मेरे द्वारा मना करने मेरे पति जो एक बुद्धे व्यक्ति है एवं मेरी बच्चियों के द्वारा मना करने पर वे लोग हमें गाली गलौज करते हुए मारने दोड़े मेरी जवान बच्चियों के साथ भद्दी-भद्दी बातें मुखिया पति श्री सुनील कुमार यादव, ने किये और धमकी दिये की पेट्रोल छिटकर तुम सबको जला देंगे। देखते है तुमको कोन बचाता है। और मेरे तरफ मारने को दौर पड़ा। हम सभी भाग कर दूसरे के घर में सरन लिये सुनील कुमार यादव काफी दबंग और रंगबाज व्यक्ति हैं जो घोषई से भगा देने की धमकी देता है।

हमलोग काभी तंगी और भयभीत हैं मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष चौसा, अंचलाधिकारी चौसा व प्रखंड विकास पदाधिकारी चौसा को सूचना दिये जो घटना स्थल पहुचे वो घटना को सही पाये तथा मुखिया पति को डाट-फटकार किये और कहा कि सरकारी जमीन में किसी का घर हो तो आप कोन होते है उजारने और भगाने वाले प्रशासन चले जाने के बाद मेरे वाले स्थान पर ईंट के मकान बनाने हेतु मुखिया पति कार्य करवा रहे है। मुझे पेट्रोल से जलाने के लिए दोड़ा तब हम वहा से भाग गये।

उपर्युक्त तथ्यों साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में श्रीमान से निवेदन है कि मुझे संरक्षण प्रदान करते हुए सुनील यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

मंजुला देवी

पति को बर्बर पेंकस अहपल्ल थी सुनील यादव
 अपने साथ 20-25 व्यक्तियों के साथ साथ
 और आदेश दिये कि चंदी बाप का घर
 उजाड़ देंगे तब तक जब तक सामान को भी यत्र-
 तत्र से ले लें तथा मेरे द्वारा मना करने मेरे
 पति को जवान बुरियों के द्वारा मना करने
 पर वे लोग हमें गाली-गलौज करते हुए
 मारने लगे। सुनील यादव ने मेरी जवान
 बुरियों को भी नहीं मदी-मदी गाली दिये और
 पैट्रोल से जवानों को भी चोट। हम सुनील यादव
 इससे के घर में शरण लिये।

मेरे द्वारा याना हम चंदा, चंदा,
 अं. मं. चंदा, नं. कि. यो चंदा को भी सूचना
 दिये, जो चटनास्थल पर पहुँचकर मुझे पति
 को बोट-फटकार दिये और कहा कि अगर घर
 जमीन में किसी का घर है तो भाप कर ले
 है, घर उजाड़ने वाले पश्चात्त के चले जाते
 के बाद मसियापति हमें पैट्रोल से जला देंगे
 चमकी रहे रहे है, हम कुछ से भाग गये।
 मेरी जमीन में मकान निर्माण हुए नीक देखते है।

ऊपर्यक्त तथ्यों एवं परिस्थिति
 को के आलोक में शिवाजी से निवेदन
 है कि मेरे उजाड़ घर को निर्माण
 करवाने को सुनील यादव के विरुद्ध
 आवश्यक कानूनी कारवाइ शुरू की
 कृपा की जाय, जिसे मुझे इसी
 निवेदन से।

अनापकी विश्वासी,
 मी जुला देवा
 ता. 8, 11, 2014

